

14/19

पत्रावली पेश। वकील ज़ारी उपस्थित थे  
बहुत विधान अधिवक्ता ज़ारी सुनी गईं  
दौरान बहुत विधान अधिवक्ता ज़ारी द्वारा  
पत्र पत्र के तर्कों को दोहरा कर ज़ारिना  
पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

बाद बहुत हमने पत्रावली का आधार  
पान्त गहन मनन अवलोकन किया। ज़ारी  
द्वारा ज़ारिना पत्र में 'अंकित लक्ष्य, वंचित  
अनुलोम, अप्रार्थी के जवाब एवं ज़ारी  
द्वारा ज़ारिना पत्र के लक्ष्य में प्रस्तुत  
दस्तावेजों पर सम्बन्ध विधिसंगत विचार  
किया गया।

हम नकार जमावेंदी सं. 2052/60

माया दुहनिया खसला नम्बर 96C परख

नं. 92C/63C (क) ज़ारी के नाम पर

दर रिकार्ड है हम विधान संसदन 2004

24 साबिक खसला नं. 92C/63C के

बाद खसला नं. 96C (क) 9.62 है

पैदा किया गया है जो हात जमावेंदी

में ज़ारी के नाम पर दर है हम नकार

खसला गिरावरी माया दुहनिया ख.

नं. 96C सं. 2065, 2066 व 2067

14/11/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अलफाबेटिक हुकम की में जारी
	<p>             में कसत करत की गई थी साबिक              नकरो में किसी प्रकार की तामीम नहीं              हो रही थी इस कारण यह नहीं कहा जा              सकता कि वन्दोवनत से पूर्व जमीन का              कब्जा साबिक आगामी १२८ में कहाँ पर              था जमीन कपका कब्जा हात खसरा              नम्बर १५४ व १५९ पर बताया है इस              हक में रिपोर्ट फेटोका सफाए एवं              राज्य अभिलेख से प्रमाणित है, कि              खं नं. १५९ चातगाह है, जिस पर              चात १६ R.T. Act है अतिबंध प्रकरी              है खं नं. १५४ व १५९ हमारा साबिक              खसरा ३७/२०९ से ही बन है इस प्रकार              जमीन की साबिक आगामी से उसके द्वारा              वॉन्डित आगामी पैट्टुद की गई है।              इस रिपोर्ट फेटोका सफाए भर्ती              प्रवाय साफार के अनुसार जमीन द्वारा भर्त              प्राप्त फर्म वॉन्डित है कि उसके बर्तवदी              है कि से एक किनोमीटर इरी पर स्थित              है ऐसी खसरा में यह नहीं कहा              जा सकता कि वॉन्डित अनुलोष सहायी              है।              कारण के अभाव में पर सम्म              विकलेशण उपान्त हम यह पाल है।           </p>	

१५/११/१९

तारीख  
नं. तारीख  
री. हुकम

तारीख  
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

कि जमीन के हिलों के विपरीत महकमा  
बन्दोबस्त द्वारा ऐसी कोई भूटि करील  
होना प्रमाणित नहीं है, जिस धारा 136  
L.A. Act 1956 के तहत सुद किया  
जा सकी जमीन के हिलों के विपरीत  
कोई लेक्सीय भूटि रिकार्ड में होना  
प्रमम डल्लया प्रमाणित नहीं है और  
एकल के हिलबदू पसकार भी सलमत  
नहीं है।

अतः गुणावगुण के आधार पर  
जमीन फल जमीन खारिज किया जाता  
है वांचित अनुलोष देकर जमीन घोषणा  
व डकमी का वाद सुलंगत विधि अनुसार  
प्रस्तुत करने देकर स्वतंत्र होगा।

निर्णय आज दि. 14.11.2019 का  
में द्वारा जिलाया जजल विपल व्यासामप  
में सुनाया गया।

  
(चिमनलाल मीना)  
R. A. S.